छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र-5,1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) छत्तीसगढ़ शासन तथा

(ii) दिनांक 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ शासन

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 9-64/32/2005, दिनांक 5 अप्रैल,2006.

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-26/32/2008, दिनांक 17 दिसम्बर,2008.

(iii) अधिसूचना क्रमांक 318/1193/32/2006, दिनांक 17 फरवरी,2009 तथा

(iv) अधिसूचना क्रमांक 438/1572/32/2007, दिनांक 2 मार्च,2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम 2008

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में राशन दुकानों की खाद्यान्न सामग्री की अफरा तफरी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, राजधानी रायपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों के आवासीय विकसित क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, राजधानी रायपुर में विस्फोटक घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, परेश बागबाहरा, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री भोलाराम साहू, खेदूराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम बनहरदी में आयोजित पशुपालन शिविर में कालातीत दवाओं का वितरण किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, छुरिया विकासखण्ड अंतर्गत शिवनाथ नदी पर एनीकट के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप, सदस्य, बस्तर जिले में क्रेशर प्लांट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण फैलाए जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

(8) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, शासन की अनुमति के बिना वन परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के पाटेकोहरा गांव में संयुक्त जांच चौकी निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री भीमा मंडावी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, दंतेवाड़ा जिले के किरन्दुल में पुलिस जवानों द्वारा गोलीचालन एवं मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, जिला रायपुर विकासखण्ड पलारी के गांव देवसुन्द्रा में निस्तार की आरक्षित जमीन को जय प्रकाश एसोसिएट्स कम्पनी को आवंटित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में लापरवाही बरती जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री टी.एस. सिंहदेव, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, अंबिकापुर के शासकीय पी.जी. महाविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, परेश बागबाहरा, सदस्य, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को उसना चांवल दिये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम,सदस्य,सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गट्टासिल्ली में महाविद्यालय खोलने,

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य, लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम पंचायत बकनाकला के पखना डभरा के पास स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम उदारी में बेलझर नाला पर स्टापडेम सह रपटा निर्माण करने,

(3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम मनोहरा से मेहरसखा-कुथरेल तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) धरसींवा,कूरा,पंडरभट्ठा, खैरखूट, सुंगेरा, लखना,भूमिया मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण करने,

(iii) ग्राम ईल्दा से फरहदा पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(iv) ग्राम टेकारी में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,

(v) ग्राम धीवरा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने तथा

(vi) ग्राम मोहरेंगा में हाई स्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मंडल, नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

15 मिनट (1) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (2) श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (4) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (5) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (6) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (7) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (8) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (9) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा सम्पत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

क्रमश: 4

निर्धारित समय

15 मिनट (10) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (11) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (12) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान मंडल, नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (14) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा30 मिनट डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य,प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर होने की ओर चर्चा उठायेंगी.

8. अशासकीय संकल्प

45 मिनट (1) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश के समस्त नगर एवं ग्रामों में तालाबों एवं जलाशयों को चिन्हांकित कर सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखा जाय.''

45 मिनट (2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "गरीबी रेखा का सर्वे शीघ्र कराया जाय."

30 मिनट (3) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों के विकास के लिये योजना बनाई जाकर जीर्णोद्धार किया जाय."

30 मिनट (4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''एन.एम.डी.सी. के मुख्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाय.''

रायपुर
दिनांक 25 मार्च, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.